

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

तारीख 24.5.18

क


सु.नं. 60/18

उजवान - राधवराम के.व.व/5 तहसीलदार टोडाभीम

दावा बखत इस्तकरारहक इन्हाज दुकस्ती नाम
अन्तर्गत धारा 89 R.T. Act, 136 R.L. & Act

24.5.18

यह दावा वादी की ओर से श्री रामश्रीजी सुष्वा मिश्र
ने दावा बखत इस्तकरारहक इन्हाज दुकस्ती नाम का
राजस्व लोक अदालत माय आपेके द्वार केम्प में द्रन
में प्रस्तुत किया। डाबलोकन किया। दावा दर्ज रजिठ
करे। प्रतिवादी को सम्मन जारी का जबरन प्राप्त का
केम्प में ही 24.5.18 को पेश हो।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

4.5.18

वादी वकील उपरो) प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम भी
उपस्थित। जबरन प्रस्तुत किया। जबरन दावा के
तथ्यों को स्वीकार वादी गण के नाम में संशोधन
कले की अनुसंधान की थी यह प्रकार दोषणा
खातेदारी का न होकर इन्हाज दुकस्ती की भेणी
का है अतः लेण्ड होल्डर तहसीलदार टोडाभीम
की अनुसंधान के आधार पर गुम रिवरिडी
परवार में डाल मण्डल की जमाबंदी सं. 209275
के खाता संख्या 187 में दर्ज राधवर के स्थान पर
राधवराम, खाता संख्या 188 में दर्ज राधवर राज शो
शिबकीराम के स्थान पर राधवराम 5/0 शिबकीराम

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>48-51 24.5.18</p>	<p>खाता संख्या 279 में दर्ज रामधन S/o शिवजी के स्थान पर राधवराम S/o शिवजीराम व गुलन्ता के स्थान पर फूलन्ता, खाता संख्या 280 में दर्ज राधाराम S/o शिवजी के स्थान पर राधवराम S/o - शिवजीराम व गुलन्ता के स्थान पर फूलन्ता खाता सं. 281 में दर्ज राधव S/o शिवजी के स्थान पर राधवराम S/o शिवजीराम व गुलन्ता के स्थान पर फूलन्ता तथा खाता संख्या 282 में दर्ज गुलन्ता के स्थान पर फूलन्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं आदेश जारी करें।</p>

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)